

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 260 वीं बैठक दिनांक 29.11.2018 को सांय: 03:30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति अर्चना सिंह, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. बुनकर, अति. आयुक्त प्रशासन/पीआरएन/द्रव्यवती नदी जविप्रा जयपुर।
4. श्री राजेश कुमार तुलारा, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी) जविप्रा जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

- | | |
|---|--|
| 1. श्री गोपाल लाल सैनी | वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी(एलपी), जविप्रा जयपुर। |
| 2. श्री मनोज कुमार | उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर। |
| 3. श्री नवल कुमार बैरवा | उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर। |
| 4. श्रीमति एकता काबरा | उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर। |
| 5. श्री राजकुमार सिंह शेखावत | उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर। |
| 6. डा० प्रवीण कुमार | उपायुक्त जोन-13, जविप्रा, जयपुर। |
| 7. श्री बी.सी. गंगवाल | उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर। |
| 8. सोनोनि०/अरबन प्लानर/
वास्तुविद् । | जोन-7, 11,12,14, मास्टर प्लान, पीआरएन साउथ,
जविप्रा, जयपुर। |
| 9. श्रीमती उषा जैन | सलाहकार, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर। |

एजेण्डा संख्या:-1 (260/29.11.2018)

विषय:-बी.पी.सी (एलपी) की 259 वी बैठक दिनांक 04.10.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।
बीपीसी एलपी की 259वीं बैठक दिनांक 04.10.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2-(जोन-5)- (260/29.11.2018)

विषय:-न्यू पिकंसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम नगर के भूखण्डा संख्या सी-57 के सैटबैक शिथिलता के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। सहकारी समिति द्वारा मूल आवंटी को जारी साईट प्लान, प्रस्तुत योजना मानचित्र एवं जविप्रा द्वारा स्वीकृत योजना

मानचित्र के अनुसार ही प्रश्नगत भूखण्ड के जारी साईट प्लान में सैटबैक अंकित किये गये हैं। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-3-(जोन-12)-- (260/29.11.2018)

विषय:- राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 1701/1 व 1701/2 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत जोन प्रस्तावानुसार 12087.91 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। भूखण्ड में सैटबैक क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण हटाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जावे। नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के एवज में राशि जमा करायी जावे। एकल पट्टे का क्षेत्रफल 10000 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-4-(जोन-13)-- (260/29.11.2018)

विषय:-ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी के खसरा नं. 12 व 13 क्षेत्रफल 32167.38 भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के उपविभाजन क्रमशः पार्ट-1 क्षेत्रफल 20484.54 वर्ग मीटर एवं पार्ट-बी क्षेत्रफल 11682.84 वर्ग मीटर के अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन प्रस्तावानुसार फार्म हाउस उपयोग हेतु जारी एकल पट्टा क्षेत्रफल 32167.38 भूमि का उपविभाजन पार्ट-ए क्षेत्रफल 20484.54 वर्ग मीटर एवं पार्ट-बी क्षेत्रफल 11682.84 वर्ग मीटर की स्वीकृति नियमानुसार शुल्क लेते हुये किये जाने प्रदान की गई। उपविभाजन हेतु प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक का होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-5-(जोन-14)-- (260/29.11.2018)

विषय:-ग्राम चांदावास तहसील फागी का कुल रकबा 17197.20 वर्ग मीटर भूमि पर रिसोर्ट एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम मोहब्बतपुरा से ग्राम चांदावास जाने वाली सड़क का मौका निरीक्षण एवं परीक्षण स्वयं जोन उपायुक्त द्वारा किया जाकर अवगत कराया जावे कि राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी एवं नक्शा) में उपरोक्त रास्ते की भूमि 12.00 मीटर न्यूनतम चौड़ाई में दर्ज है अथवा नहीं।

एजेण्डा संख्या:-6-(जोन-14)-- (260/29.11.2018)

विषय:- ग्राम चांदावास तहसील फागी का कुल रकबा 14415.31 वर्ग मीटर भूमि पर रिसोर्ट एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम मोहब्बतपुरा से ग्राम चांदावास जाने वाली सड़क का मौका

निरीक्षण एवं परीक्षण स्वयं जोन उपायुक्त द्वारा कराया जावे कि राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी एवं नक्शा) में उपरोक्त रास्ते की भूमि 12.00 मीटर न्यूनतम चौड़ाई में दर्ज है अथवा नहीं।

एजेण्डा संख्या:-7-(जोन-14)-(260/29.11.2018)

विषय:-ग्राम चांदावास तहसील फागी का कुल रकबा 10748.25 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम मोहब्बतपुरा से ग्राम चांदावास जाने वाली सड़क का मौका निरीक्षण एवं परीक्षण स्वयं जोन उपायुक्त द्वारा कराया जावे कि राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी एवं नक्शा) में उपरोक्त रास्ते की भूमि 12.00 मीटर न्यूनतम चौड़ाई में दर्ज है अथवा नहीं।

एजेण्डा संख्या:-8-(जोन-14)-(260/29.11.2018)

विषय:-ग्राम बीलवा कला तह. सागानेर के खसरा न. 281 रकबा 0.39 हैक्ट. ख.न.282 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.न. 305 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.न. 308 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.न. 309 रकबा 0.22 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 1.10 हैक्ट. भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3-ए के अन्तर्गत एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन प्रस्तावानुसार पार्ट-ए 4977.00 वर्ग मीटर एवं पार्ट-बी 3598.00 वर्ग मीटर कुल 8575.00 वर्ग मीटर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना प्रोविजन 3-ए के तहत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति द्वारा निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये:-

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1-(जोन-7)-(260/29.11.2018)

विषय:-ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर के खसरा नं. 650/2269, 650/2271, 650/2272, 670/2 व अन्य खसरा नम्बरान क्षेत्रफल 28967.73 वर्ग मीटर भूमि में से 16407.09 वर्गमीटर भूमि पर निजी खातेदारी की योजना ओके प्लस कृष्ण कुंज एवं शेष 12560.64 वर्ग मीटर पर आवासीय ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। आवेदक की कुल 28967.70 वर्ग मीटर भूमि में से 813.10 वर्ग मीटर भूमि सड़क हेतु एवं 1343.70 वर्ग मीटर भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित करवाई जाकर 26810.90 वर्ग मीटर भूमि का एकल पट्टा जविप्रा द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है। आवेदक द्वारा इस पट्टा शुदा भूमि में ग्रुप हाउसिंग का एक भूखण्ड एवं प्लॉटेड भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। समिति द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 10(65)नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 18.05.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 3(663)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 18.05.2012 का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व में सड़क व सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित करवाई गई भूमि को छोड़कर 26810.90 वर्ग मीटर भूमि पर ही विचार

किया जावे। तदनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु पूर्व में समर्पित करवाई गई 1343.70 वर्ग मीटर भूमि को यथावत रखते हुये 10651.84 वर्ग मीटर भूमि पर ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भूखण्ड स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष 16159.06 वर्ग मीटर भूमि का टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 40 प्रतिशत क्षेत्र सड़क एवं पार्क हेतु आरक्षित रखते हुये प्रस्तुत ले-आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 51 एवं 52 को भी पार्क हेतु आरक्षित रखते हुये आवासीय भूखण्डों की योजना अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.05.2018 के अनुसार उपविभाजन एवं अन्य शुल्क भी वसूल किये जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2-(जोन-7)-(260/29.11.2018)

विषय:- ग्राम कनकपुरा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नं. 183/329 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं. 231 रकबा 06 बिस्वा एवं खसरा नं. 233 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा 8092.80 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत जोन प्रस्तावानुसार 7744.80 वर्ग मीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के एवज में राशि जमा करायी जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3-(जोन-13)-(260/20.11.2018)

विषय:- ग्राम जीतावाला-तहसील बस्सी के खसरा नं. 196 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 2312.54 वर्ग मीटर भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मास्टर विकास योजना 2025 के वाल्यूम 4 (डवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशन) के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु नियमानुसार क्षेत्रफल 36x36 मीटर का भूखण्ड उपलब्ध होने की शर्त पर पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ 90-ए की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:- जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1224/5 रकबा 0.0371 हैक्टेयर, खसरा नं. 1225/5 रकबा 0.1125 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224/7 रकबा 0.1050 हैक्टेयर में से 0.567 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2063 भूमि पर संयुक्त रूप से आवासीय (फ्लैट) एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट, इस पत्रावली तथा आवेदक की अन्य तीन पत्रावलियों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। खसरा नं. 1224/6 एवं 1224/7 की भूमि 60.00 मीटर चौड़ी सड़क से लगते हुये स्थित है तथा सड़क हेतु समर्पित भूमि इन खसरों में से हो रही है एवं इनका पृथक्-पृथक् उपयोग नहीं हो सकेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह अभिमत प्रकट किया गया

कि प्रकरण में अभी केवल 90-ए की गई है, उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम पट्टा जारी होने के पश्चात् ही लागू होता है तथा कोई भी आवेदक एक से अधिक पृथक पृथक पत्रावली प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार जोन प्रस्तावानुसार 2118.23 वर्ग गज भूमि का आवासीय एकल पट्टा (फ्लेट्स) अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक से नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि भी ली जावे। जोनल प्लान की 200 फिट सडक हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:- जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1224/3 रकबा 0.0309 हैक्टेयर, खसरा नं. 1225/3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224/6 रकबा 0.1027 हैक्टेयर में से 0.0499 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1808 हैक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से आवासीय (फ्लेट) एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट, इस पत्रावली तथा आवेदक की अन्य तीन पत्रावलियों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। खसरा नं. 1224/6 एवं 1224/7 की भूमि 60.00 मीटर चौड़ी सडक से लगते हुये स्थित है तथा सडक हेतु समर्पित भूमि इन खसरों में से हो रही है एवं इनका पृथक-पृथक उपयोग नहीं हो सकेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह अभिमत प्रकट किया गया कि प्रकरण में अभी केवल 90-ए की गई है, उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम पट्टा जारी होने के पश्चात् ही लागू होता है तथा कोई भी आवेदक एक से अधिक पृथक पृथक पत्रावली प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार जोन प्रस्तावानुसार 1888.45 वर्ग गज भूमि का आवासीय एकल पट्टा (फ्लेट्स) अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक से नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि भी ली जावे। जोनल प्लान की 200 फिट सडक हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:- जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1224/4 रकबा 0.0310 हैक्टेयर, खसरा नं. 1225/4 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224/6 रकबा 0.1027 हैक्टेयर में से 0.0031 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224/7 रकबा 0.1050 हैक्टेयर में से 0.0483 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.1774 हैक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से आवासीय (फ्लेट) एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट, इस पत्रावली तथा आवेदक की अन्य तीन पत्रावलियों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। खसरा नं. 1224/6 एवं 1224/7 की भूमि 60.00 मीटर चौड़ी सडक से लगते हुये स्थित है तथा सडक हेतु समर्पित भूमि इन खसरों में से हो रही है एवं इनका पृथक-पृथक उपयोग नहीं हो सकेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह अभिमत प्रकट गया कि

प्रकरण में अभी केवल 90-ए की गई है, उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम पट्टा जारी होने के पश्चात् ही लागू होता है तथा कोई भी आवेदक एक से अधिक पृथक पृथक पत्रावली प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार जोन प्रस्तावानुसार 1806.95 वर्ग गज भूमि का आवासीय एकल पट्टा (फ्लेटस) अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक से नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि भी ली जावे। जोनल प्लान की 200 फिट सड़क हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:- जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1224/2 रकबा 0.0333 हैक्टेयर, खसरा नं. 1225/2 रकबा 0.1025 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224/6 रकबा 0.1027 हैक्टेयर में से 0.0497 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा कुल रकबा 0.1855 हैक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से आवासीय (फ्लेट) एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट, इस पत्रावली तथा आवेदक की अन्य तीन पत्रावलियों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। खसरा नं. 1224/6 एवं 1224/7 की भूमि 60.00 मीटर चौड़ी सड़क से लगते हुये स्थित है तथा सड़क हेतु समर्पित भूमि इन खसरों में से हो रही है एवं इनका पृथक-पृथक उपयोग नहीं हो सकेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह अभिमत प्रकट गया कि प्रकरण में अभी केवल 90-ए की गई है, उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम पट्टा जारी होने के पश्चात् ही लागू होता है तथा कोई भी आवेदक एक से अधिक पृथक पृथक पत्रावली प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार जोन प्रस्तावानुसार 1913.32 वर्ग गज भूमि का आवासीय एकल पट्टा (फ्लेटस) अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक से नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि भी ली जावे। जोनल प्लान की 200 फिट सड़क हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:-मैसर्स अनुकृति बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री अवनीश बंसल द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर खसरा नं. 643 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 0.1676 हैक्टेयर, खसरा नं. 644 रकबा 0.90 हैक्टेयर में से 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नं. 645 रकबा 1.89 हैक्टेयर में से 0.906 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 3.75 हैक्टेयर में से 0.3973 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय (फ्लेटस) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

पत्रावली जोन उपायुक्त द्वारा सीधे ही समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा पत्रावली का एवं जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत जोन प्रस्तावानुसार 3600.14 वर्ग गज भूमि का आवासीय (फ्लेटस) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि लिया जाकर अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।



जोनल प्लान की 200 फिट सडक हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

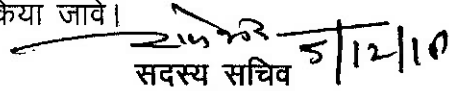
विषय:-मैसर्स अनुकृति बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री अवनीश बंसल द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर खसरा नं. 644 रकबा 0.90 हैक्टेयर में से 0.0623 हैक्टेयर, खसरा नं. 645 रकबा 1.89 हैक्टेयर में से 0.0893 हैक्टेयर, खसरा नं. 646 रकबा 0.45 हैक्टेयर में से 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.1616 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

पत्रावली जोन उपायुक्त द्वारा सीधे ही समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा पत्रावली का एवं जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत जोन प्रस्तावानुसार 1288.89 वर्ग गज भूमि का आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि लिया जाकर अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। जोनल प्लान की 200 फिट सडक हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10-(जोन-11)-(260/20.11.2018)

विषय:-मैसर्स अनुकृति बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जरिये निदेशक श्री अवनीश बंसल द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 643 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 0.1324 हैक्टेयर, खसरा नं. 644 रकबा 0.90 हैक्टेयर में से 0.0786 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.2110 हैक्टेयर भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

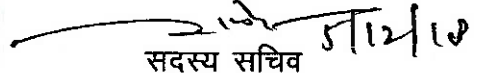
प्रकरण में 90बी आवासीय प्रयोजनार्थ की गई जबकि आवेदक द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा जा रहा है। जोनल प्लान में 200 फिट चौड़ी सेक्टर सडक के सहारे सहारे 100 फिट गहराई की व्यावसायिक पट्टी प्रस्तावित की गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नियमानुसार वसूल करते हुये 867.43 वर्ग गज भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। जोनल प्लान की 200 फिट सडक हेतु जोनल प्लान/कमिटमेंट अनुसार जो भी मौका स्थिति हो आवश्यक भूमि आवेदक से समर्पित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।


सदस्य सचिव 5/12/18
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बोपीसी (एल.पी.)/2018/डी-78 दिनांक:- 05/12/18

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
6. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुर्नवास, जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)/बीपी जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
10. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)